निगरानी नगरपालिका प्रकरण संख्या 02/2013(RCMS No. 2014/00008)
अनवानी 1. जगदीश 2. हनुमान 3 शंकर पुत्रगण श्री लूणाराम जाति मेघवाल निवासी मकान नम्बर 3, सम्पत बस्ती, वार्ड नं. 15, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर **बनाम** 1. नगर परिषद्, श्रीगंगानगर जरिये आयुक्त, नगर परिषद्, श्रीगंगानगर 2. तीजा देवी पत्नी स्व. श्री पोखराम निवासी सम्पत बस्ती, वार्ड नम्बर 15, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर 3. रूपादेवी पत्नी लूणाराम 4. लक्ष्मण 5. रामप्रताप 6. कमला 7. लक्ष्मी पुत्र/पुत्रियां लुणाराम जाति मेघवाल निवासी म.न. 3, सम्पत बस्ती, वार्ड नं. 15, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24.06.2019

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री सुभाष मिढा एवं अप्रार्थी संख्या 1–नगरपरिषद की ओर से श्री संजय पोटलिया एवं अप्रार्थीगण 2 से 7 के अधिवक्ता श्री जी.के.लाल उपस्थित है। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 7 के अधिवक्ता श्री जी.के. लाल द्वारा स्वायत्त शासन विभाग राजास्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/15/5843 दिनांक 10.06.2016 की प्रति पेश करते हुए प्रार्थना की है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थीगण जगदीश वगैरहा द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के अन्तर्गत नगर परिषद्, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 17.12.2012 से अप्रार्थी संख्या 02 तीजा देवी के पक्ष में प्लॉट संख्या 03, सम्पत बस्ती क्षेत्रफल 15 गुणा 24'6'' का पट्टा जारी किया गया, को निरस्त करने के लिए पेश की थी और अब चूंकि धारा 73 के अन्तर्गत के प्रकरणों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को दिनांक 10.06.2016 की उक्त अधिसूचना द्वारा शक्तियां दी जा चुकी है इसलिए इस न्यायालय को उक्त प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण करने का अब कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीगण जगदीश वगैरहा द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने के लिए लौटाई जाये। प्रार्थी के अधिवक्ता को भी उक्त अधिसूचना के अनुसार सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने हेतु लौटाने में कोई आपत्ति नहीं है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उक्त निगरानी दिनांक 10.05.2013 को इस न्यायालय में धारा 73(2), राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत पेश की थी। जिसमें उसने नगर परिषद के आदेश दिनांक 17.12.2012 द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 तीजा देवी के पक्ष में जारी किये गए पट्टा निरस्त करने की प्रार्थना की थी। पूर्व में उक्त धारा 73(2) के तहत कार्यवाही करने के लिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अर्थात जिला कलक्टर को शक्तियां थी किन्तु राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 10.06.2016 से ये शक्तियां प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को दे दी गई है। इसलिए अब इस प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण करने की अधिकारिता निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को नहीं रहती है। इसलिए उक्त प्रकरण को सक्षम ऑथोरिटी/न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए लौटाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी जगदीश वगैरहा बनाम नगर परिषद्, श्रीगंगानगर व तीजा देवी आदि को सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने हेतु उक्त निगरानी लौटाई जाती है। इस आश्य का नोट मूल निगरानी पर अंकित कर दिया जावे। आयुक्त, नगर परिषद्, श्रीगंगानगर को तीजो देवी की मूल पट्टा पत्रावली एवं इस न्यायालय के उक्त आदेश की प्रति भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर